न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

प्रकरण सं0 44/2013

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री भीमसिंह जाति जाट निवासी झांसल हाल आबाद एल बी एस स्कूल के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा।
3. शांति पुत्री कुरडाराम जाति ब्राहमण निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकण संख्या 1294 दिनांक 19.08.2013 द्वारा तहसीलदार(राजस्व) भादरा जिसकी रूह से अपीलान्ट को बिना ही किसी प्रकार का नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर उसकी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि को गलत व गैर कानूनी तौर से गै0मु0 आबादी भूमि दर्ज कर स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया बमुराद मनसुखिया आदेश व नामान्तरकण व किये जाने अपील स्वीकार।

उपस्थितः— श्री खेताराम, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री आनन्द उपाध्याय, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः— 28.02.2020

अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है—

(क) भूमि जेर बहस अपील चक 8 बारानी भादरा के जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 72 के वर्तमान खाता संख्या 108/110 मु0न0 104 के किला न0 6,7 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर बारानी प्रथम कुल किता 2 की 0.506 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि पवन कुमार पुत्र कुरडाराम 0.038 हैक्टयर, शांति पुत्री कुरडाराम 0.101 हैक्टयर हिस्सा, ताराचंद, शंकरलाल, महेन्द्र, छोटुराम, चन्दकौर व पावर्ती पिसरान मदनलाल, शांति बेवा

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मदनलाल ब0हि0ब0 0.038 हैक्टयर कौम ब्राहमण व मोहरसिंह वल्द जीराम हिस्सा 0.228 हैक्टयर कौम जाट साकिन भादरा व जगदीश प्रसाद वल्द हरीसिंह कौम नाई हिस्सा 0.101 हैक्टयर साकिन चिड़ियागांधी के नाम से बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 72 के विशेष कॉलम में " हुकमन आदेश इन्तकाल नं. 1234 दिनांक 19.08.2013 नगर पालिका भादरा मु0न0 104 के किला न0 6–7 = 0.506 हैक्टयर गै0मु0 दर्ज है जिसमे अपीलन्ट द्वारा जरिऐ रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व 17.05.2010 को चक 8 बारानी कस्बा भादरा के मु0न0 104 के किला न. 6–7 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 शांति से उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि 0.101 हैक्टयर खरीद की गई थी व शांति का संयुक्त खाते मे 1/5 हिस्सा था उपरोक्त भूमि का असल खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 3 शांति का पिता कुरडाराम था उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकण कुरडाराम मृतक के पांच वारिसान उसकी बेवा लड़कियों के नाम प्रत्येक का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 मे नामान्तरकरण दर्ज होकर स्वीकृत हो गया उसके पश्चात उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि मु0न0 104 के किला न. 6 व 7 मे 0.228 हैक्टयर भूमि मोहरसिंह पुत्र जीराम जाट ने कुरडाराम के वारिसान पवन कुमार, ताराचंद, शंकरलाल, महेन्द्र, छोटुराम, चांदकौर, पार्वति व शांति पिसरान मदनलाल पुत्र कुरडाराम से दिनांक 28.06.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली गई व इसी कदर जगदीश पुत्र हरीसिंह नाई चिडियागांधी द्वारा उपरोक्त भूमि में 0.101 हैक्टयर भूमि शंकरलाल पुत्र कुरडाराम से दिनांक 20.11.2007 को जरिऐ रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली गई। इस प्रकार चक 8 बारानी कस्बा भादरा तहसील भादरा के मु0न0 104 के किला न0 6–7 प्रत्येक 0.253 हैक्टयर कुल 0.506 हैक्टयर मे से .101 हैक्टर अपीलान्ट कृष्ण कुमार द्वारा शांति पुत्री कुरडाराम जाति ब्राहमण रेस्पोडेन्ट सं. 3 से खातेदारी कृषि भूमि के प्रतिफल की राशि अदा करके मौका पर कब्जा प्राप्त करके बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व 17.05.2010 को अपने पक्ष मे निष्पादित करवा लिया गया व 0.228 हैक्टर का बैयनामा मोहरसिंह द्वारा कुरडाराम के वारिसान मदनलाल के पुत्र, पुत्रियां व बेवा से 28.06.2007 को अपने नाम से करवा लिया गया व 0.101 हैक्टर भूमि का बैयनामा जगदीश पुत्र जीराम नाई द्वारा शंकर पुत्र कुरडाराम से दिनांक 20.11.2007 को अपने नाम से खरीद कर तस्दीक करवा लिया गया। जगदीश, मोहरसिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण होकर अमल दरामद हो गया व अपीलान्ट द्वारा शांति रेस्पोडेन्ट सं. 3 से उसके हिस्से की .101 हैक्टर संयुक्त खाते की कृषि भूमि का नामान्तरकण मोहरसिंह, जगदीश व कृष्णकुमार के दरमियान विवाद होने की स्थिति मे मोहरसिंह, जगदीश द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रस्तुत वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भादरा अनुवानी मोहरसिंह आदि बनाम कृष्ण कुमार आदि वाद संख्या 16/2010 दायरा दिनांक 25.05.2010 निर्णय दिनांक 22.07.2013 प्रस्तुत होने की वजह से उसमें एक बार न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के कारण व आगे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र के साथ अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर जिला न्यायाधीश भादरा के अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना की क्रियान्विति आईन्दा आदेश तक रोकने का आदेश होते हुए व उक्त भूमि के सम्बन्ध मे एक वाद अपीलान्ट द्वारा अपने नाम खरीदशुदा खातेदारी भूमि की बाबत घोषणात्मक व खाता विभाजन का न्यायालय उप जिला कलक्टर भादरा मे अनुवानी मोहरसिंह बनाम कृष्ण कुमार अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट के तहत पैडिंग होते हुए व दुसरी तरफ मोहरसिंह व जगदीश द्वारा एक वाद उप जिला कलक्टर भादरा के न्यायालय में मोहरसिंह बनाम कृष्णकुमार आदि जेरकार होते हुए व उनमे किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश अपीलान्ट के खिलाफ नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्वीकृत किये जाने का नही होते हुए व बैयनामा कैन्सिल का वाद एडीजे कोर्ट भादरा द्वारा दिनांक 27.07.2013 को अपीलान्ट के पक्ष मे बैयनामा सही मानकर उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश होते हुए व अन्य मुकदमे बाजी पैन्डिंग होते हुए व जिनमें राज्य सरकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 पक्षकार होते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को बिना ही पक्षकार बनाये व बिना किसी प्रकार का नोटिस, सुचना व सुनवाई का अवसर दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2012 का नोटिस उपखण्ड अधिकारी भादरा, तहसीलदार (राजस्व) भादरा, श्रीमान संपादक राजस्थान पत्रिका भादरा को विवादित भूमि के अलावा खातेदारी कृषि भूमि के धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 की कार्यवाही हेतु नोटिस दिये जाकर राजस्थान पत्रिका में कमांक 3569 दिनांक 19.11.2012 मे विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु निकलवाई गई जिसमें चक 8 बारानी की भूमि मु0न0 104 के किला नं. 18,19,20,23,24,25, 1 ता 5, 8 ता 15, 16–17 का विवरण प्रकाशित किया हुआ है जिसमे मु0न0 104 के किला न0 6 व 7 की भूमि 0.506 हैक्टर का कहीं भी खातेदारी कृषि भूमि से आवासीय या कोमरसियल प्रपच हेतु आबादी भूमि मे कन्वट करवाने का हवाला नही होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जालसाजी करके अपने निर्णय दिनांक 04.04.2013 मे चक 8 बारानी के मु0न0 104 के किला न. 6–7 की 0.506 हैक्टर भूमि को गलत गैरकानूनी व साजिसाना तौर पर भूमि मे अपीलान्ट को बिना ही पक्षकार बनाऐ, बिना ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये जो एकतरफा आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व गैरकानूनी तौर से पारित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है, के आधार पर अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दियं नामान्तरकण संख्या 1294 दिनांक 19.08.2013 को उसकी खरीदशुदा भूमि का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व गैरकानूनी तौर से स्वीकृत फरमा दिया गया उक्त आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित अतिरिक्त आधारो के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून न्याय नियम व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ व रूहेदाद मिसल के पारित किए जाने के कारण काबिले इखराजी के है।
2. आदेश जेर अपील अदालत लिगल प्रोपर व करेक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।
3. आदेश जेर अपील आदलत मातहत विदआउट ज्युडिक्शन के व आरबिट्री तौर पर जारी किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
4. आदेश जेर अपील अदालत मातहत सेल्फ स्पीकिंग आदेश नही होने के कारण व सीपीसी के मेनडेन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण कानूनन निरस्तनीय है।
5. आदेश जेर अपील अदालत मातहत लेण्ड रेवन्यु एवं लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 से 121 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
6. अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा अपने 1/5 हिस्सा की भूमि का संयुक्त खाता में से अपने हिस्सा का बैयनामा दिनांक 14.05.2010 व दिनांक 17.05.2010 को उप पंजीयक भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करके व कब्जा भूमि का क्रेता को सौंपकर निष्पादित करवाया गया था जो बैयनामा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भादरा द्वारा वाद अनुवानी मोहरसिंह बनाम कृष्णकुमार निर्णय दिनांक 27.07.2013 अपीलान्ट के पक्ष मे होते हुए व अपीलान्ट का दुसरा वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध मे कृष्ण कुमार बनाम मोहरसिंह आदि घोषणात्मक व खाता तकसीम का न्यायालय उप जिला कलक्टर भादरा मे जेरकार होते हुए व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश अपीलान्ट के पक्ष मे उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का होते हुए जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी पूर्व मे जारी सार्वजनिक सूचना की विक्षप्ति व अखबार मे साया दिनांक 19.11.2012 मे चक 8 बारानी कस्बा भादरा के मु0न0 104 के किला नं. 6–7 का किसी प्रकार का खातेदारी कृषि भूमि से गैर कृषि मे कन्वर्जन किये जाने का अंकन नही होते हुए अपने निर्णय मे दोनो किला नं. 6 व 7 की भूमि का अंकन जालसाजी करके जो निर्णय अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाए व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 को बिना किसी सूचना, सुनवाई व नोटिस दिये जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा तौर से जालसाजी करके पारित किया गया है वो निर्णय एबइनिशियों नल एण्ड वॉयड है व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय किसी प्रकार के निर्णय की श्रेणी मे नही आता है और ना ही किसी प्रकार सैल्फ स्पीकिंग आर्डर है। इस प्रकार ऐसे आदेश के आधार पर जो नामान्तरकण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिठ पीछे बिना नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये व बिना पक्षकार बनाये व सिविल कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष मे होते हुए व उसके द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2013 की पालना में प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08.2013 का अधिनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण स्वीकृत करने का विचाराधीन होते हुए उक्त नामान्तरकरण पर बिना ही किसी प्रकार का कोई विचार किये व पत्रावली मे शामिल किये जो निर्णय मनमाने तौर से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वो निर्णय घोर त्रुटिकारक होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

7. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जब रकबा धारा 90 ए की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित सूची में अंकित ही नही था तो बिना अंकन के उसें निर्णय मे शामिल कर जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने आरबिटरी तौर से व जालसाजी करके पारित किया गया है, वो निर्णय घोर त्रुटिकारक होने के कारण कानूनन निरस्तनीय है।

8. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट पक्षकार नही था व आदेश जेर अपील अदालत मातहत से Aggrived Party है इसलिए अब अदालत वाला की पूर्व परमिशन से अपील प्रस्तुत कर रहा है, सो अपीलान्ट को आदेश जेर अपील अदालत मातहत से Aggrived Party होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें।

9. दीगर वजूआत पर भी अपील काबिले मन्जूरी के है जो कि तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जाऐगे।

10. उक्त आदेश के विरूद्ध अन्य कोई अपील आदि माननीय न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत की हुई नहीं है।

(ख) अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है एवं अपील दिनांक 23.08.2013 के इल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व साथ मे कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत है सो अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1294 दिनांक 04.04.2013 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकण बैयनामा के आधार पर दर्ज कर स्वीकृत किये जाने का आदेश सादिर फरमावे। अन्य कोई रिलीफ नियम व कानून से अपीलान्ट को मिलता हो, भी दिलाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नगरपालिका के निर्णय दिनांक 04.04.2013 की पालना मे किये गये इंतकाल संख्या 1294 दिनांक 19.08.2013 के विरूद्ध अपील पेश की है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1294 दिनांक 19.08.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा के आदेश क्रमांक 103 दिनांक 04.04.2013 की पालना में भरा गया है जबकि प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा के आदेश दिनांक 04.04.2013 की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें मु0 नं0 104 के किला सं0 6 और 7 की भुमि रकबा क्रमशः 0.2530, 02530 का उल्लेख है अतः इस आदेश के द्वारा मुरबा नं0 104 के किला सख्यां 6 व 7 की भुमि का भी आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु निर्णय लिया गया है जबकि यह निर्णय पारित करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका भादरा द्वारा जो सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.11.2012 को प्रकाशित की गयी थी एवं आपतियां आमत्रित की गयी थी उसमें मुरब्बा नं 104 के किला संख्या 6 व 7 का उल्लेख नही है अर्थात कि0सं0 6 व 7 के सम्बन्ध में न तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी न ही आपतीयां आमत्रिंत की गयी फिर इन किला संख्या की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी निर्णय कैसे पारित किया गया अतः प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भादरा द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय विधिक त्रुटि की है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना भी की है एवं इस निणर्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय नामान्तरकरण संख्यां 1294 दिनांक 19.08.2013 पारित किया गया है अतः उक्त निर्णय दिनांक 04.04.2013 विधि सम्मत नही होने से अपीलाधीन निर्णय नामातरणकरण संख्यां 1294 दिनांक 19.08.2013 भी विधिसम्मत नही होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय मे सुनाया गया शामिल मिसल रहे।

28/2/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official